य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

उनवानः– बच्चू बनाम मुकेश

पत्रावली पेश हुई, सायल वकील उपस्थित, सायल वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम राजौली की वर्णित आराजीयात कुल किता 3 कुल रकवा 0.34 है0 मे सायल न0 1 हिस्सा 1/16, सायल न0 2 हिस्सा 1/8, के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख00 228/0.09 है0 मे सायल न0 3 ता 6 के पिता प्यारेलाल का स्वर्गवास हो जाने कारण सायल न0 3 ता 6 जायज कायम मुकाम वारिसान है। मद न0 4 मे वर्णित आराजीयात किता 3 कुल रकवा 0.27 है0 मे सायल न0 1 हिस्सा 1/32 व सायल न0 2 हिस्सा 1/16, के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, बकिया हिस्से के अन्य खातेदार है। उक्त आराजीयात सायलान व अन्य सहखातेदारो की शामलाती है। जिसमे कोई रास्ता रिकार्ड मे नही है। परन्तु गैरसायलान का कोई सरोकार नही है। परन्तु गैरसायलान जबरदस्ती रास्ता बनाना चाहते है। सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है इसलिये गैरसायलान को तादावा फैसला दिनांकः– 16.03.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम राजौली की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता न0 46 मे ख0न0 190, 226,227 मे सायल न0 1 हिस्सा 1/16, सायल न0 2 हिस्सा 1/8 का खातेदार दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार, खाता न0 81 के ख0न0 228 मे सायल न0 3 ता 5 के पिता प्यारेलाल पुत्र बीरबल हिस्सा पूर्ण का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता न0 45 मे कुल किता 3 कुल रकवा 0.27 है0 मे सायल न0 1 हिस्सा 1/32, सायल न0 2 हिस्सा 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही है। गैरसायल न0 1 ने दिनांक 18.06.2024 को आदेशिका पर उपस्थिति दर्ज की है तत्पश्चात अनुपस्थित न्यायालय रहे है। शेष गैरसायलान अनुपस्थित न्यायायल रहे है। इससे साबित है कि गैरसायलान का वर्णित आराजीयात से किसी प्रकार का संबध नही है। पत्रावली के अवलोकन व सायलान वकील की बहस से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि सायलान को अपूर्तनय क्षति साबित होने की संभावना है अतः सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष मे साबित होता है, इसलिये वादपत्र के न्यायोचित निस्तारण के लिए सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.03.2023 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायलान को ग्राम राजौली की आराजीयात ख0न0 190/0.19, 226/0.05, 227/0.11, 228/0.09, 217/0.16, 220/0.03, 221/0.08 मे मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Scanned with OKEN Scanner